



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल (म.प्र.)

क्र./ 708 / NREGS-MP/TECH/SE-II/2011

भोपाल, दिनांक 20/01/12

प्रति,

1. अधीक्षण यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मंडल चंबल, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर,
नर्मदापुरम, भोपाल, उज्जैन, इंदौर।
2. कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग समस्त मध्यप्रदेश।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा की उपयोजना "आंतरिक पथ" अंतर्गत, मार्गदर्शी प्राक्कलनों का प्रेषण।

संदर्भ:- आंतरिक पथ उपयोजना के संबंध में विभाग का परिपत्र क्रमांक 9777 /
MGNREGS-MP/NR-3 /SE-II/2011 भोपाल दिनांक 10.10.2011।

—00—

विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के तहत ग्रामों की गलियों में सीमेंट कांकीट सड़क निर्माण, "आंतरिक पथ" उपयोजना की आयोजन के क्रियान्वयन किए जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश संदर्भित पत्र से जारी किए गए हैं। परिपत्र के पृष्ठ क्रमांक 3 पर विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में आंतरिक पथ के संबंध में औसत लागत का विवरण तालिका में दिया गया है। तालिका में दर्शित विभिन्न चौड़ाई में 100 मीटर लंबाई के प्राक्कलन मार्गदर्शन हेतु संलग्न भेजे जा रहे हैं।

कृपया क्षेत्र में स्थल की स्थिति के अनुरूप वास्तविक प्राक्कलन तैयार कराया जाकर मनरेगा के प्रावधानों के अनुरूप तकनीकी स्वीकृति जारी किए जाने की कार्यवाही की जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(संलग्न E-mail के अतिरिक्त)

(प्रभाकान्त) कटारे)

मुख्य अभियंता
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,
भोपाल (म0प्र0)

भोपाल, दिनांक 20/01/12

पृ. क्र./ 709 / NREGS-MP/TECH/SE-II/2011

प्रतिलिपी:-

1. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पूर्व/पश्चिम को सूचनार्थ।
2. संभाग आयुक्त, समस्त संभाग मध्यप्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक(समस्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक, (समस्त) जिला पंचायत।

मुख्य अभियंता
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,